न्यायालय सहायक कलक्टर रियांबड़ी जिला नागौर
बईजलास श्री सुरेश कुमार आर.ए.एस
मुकदमा संख्या 157/24

वादी:–
1–रामरतन पुत्र मांगीलाल जाति जाट निवासी अरनियाला तहसील रियांबड़ी जिला नागौर
प्रतिवादीगण :–
1–तीजुड़ी पत्नी मांगीलाल जाति जाट निवासी अरनियाला तहसील रियाबड़ी
2–गीतादेवी पुत्री मांगीलाल पत्नी रामगोपाल जाति जाट निवासी अरनियाला हाल निवासी धांधलास उदा. तहसील मेड़ता जिला नागौर
3–कमली पुत्री मांगीलाल पत्नी लिछमण जाति जाट निवासी अरनियाला हाल निवासी भैंसड़ाखुर्द तहसील रियांबड़ी
4–पप्पूड़ी पुत्री मांगीलाल पत्नी हरसुखराम जाति जाट निवासी अरनियाला हाल निवासी रामसरी तहसील डेगाना जिला नागौर
5–मंयक गोदारा दोहिता मांगीलाल पुत्र रामपाल नाबालिंग जरिये प्राकृतिक संरक्षक पिता रामपाल पुत्र जोगीराम जाति जाट निवासी जाटावास तहसील रियांबड़ी
6–तहसीलदार रियांबड़ी
7–पटवारी हल्का अरनियाला तहसील रियांबड़ी जिला नागौर

दावा बाबत खातेदारी घोषणा व रेकर्ड दुरूस्ती अंतर्गत धारा 88, 89 आर.टी.एक्ट 1955

निर्णय

दिनांक :– 5/7/24

वादी की ओर से निम्नलिखित वाद पेश कर निवेदन है कि :–

1–यह है कि वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 हिन्दु है तथा हिन्दु विधि की मिताक्षरा शाखा की बनारस स्कूल से गर्वन होते है। प्रतिवादी संख्या 1, वादी व प्रतिवादीगण संख्या 2 से 4 की माता व प्रतिवादी संख्या 5 की नानी है तथा प्रतिवादी संख्या 2 से 4 वादी की सगी बहने है। व प्रतिवादी संख्या 5 वादी का सगा भाणजा है।

2–यह है कि मौजा अरनियाला के खेत खसरा नंबर 5 रकबा 1.2300 हैक्टर में सें वादी का 1/12 हिस्सा,प्रतिवदी संख्या 1 का 1/12 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 2 का 1/12 हिस्सा,प्रतिवदी संख्या 3 का 1/12 हिस्सा,प्रतिवादी संख्या 4 का 1/12 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 5 का 1/12 हिस्सा आया हुआ है। तथा अरनियाला के खसरा नंबर 14 रकबा 2.0700 हेक्टर,खसरा नंबर 20 रकबा 1.2100 हैक्टर, खसरा नंबर 21 रकबा 1.4200 हैक्टर,खसरा नंबर 36 रकबा 0.5900 हैक्टर, खसरा नंबर 85 रकबा 2.0100 हैक्टर कुल खसरा 5 कुल रकबा 7.3000 हैक्टर में सें वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 5 का 1/6–1/6 हिस्सा आया हुआ है। जो भूमि वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 की संयुक्त काश्त व कब्जसुदा आई है। जो वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 को उतराधिकार में प्राप्त हुई है। उक्तखसरान की भूमि आगे वाद में मुतनाजा आराजी के नाम से सम्बोधि की गई है।

3–यह है कि वादग्रस्त खसरान की भूमि पूर्व में वादी के पूर्वजो की खातेदारी की काश्त व कब्जासुद थी। जिनके स्वर्गवास के बाद वादग्रस्त खसरान की भूमि वादी व प्रतिवादीगण को उतराधिकार में प्राप्त हुई। इस प्रकार वादग्रस्त खसरान की भूमि पक्षकारान की पैतृक भूमि है। तथा वादग्रस्त खसरान की भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 5 को जन्म से अधिकार प्राप्त है।.

4–यह है कि प्रतिवादी संख्या 1 से 5 ने अपने बंट की ऐवज में नगदीव आभूषण प्राप्तकर लिये है। जिससे प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 ने विवादित खसरान में सें अपना सम्पूर्ण हक,बंट,हिस्सा व अधिकार वादी के हक में तर्क कर दिया है। जिससे अब विवादित खसरान की भूमि में प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 का किसी प्रकार का कोई हक,बंट,हिस्सा व अधिकार नही है।

5–यह है कि विवादित खसरान की भूमि का वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 ने मौके पर सहूलियत से बंटवारा कर लिया है। विवादित खसरान की भूमि केवल मात्र वादी की ही बंटसुदा अकेले की काश्त व कब्जासुदा है। जिससे वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 की खातेदासी की घोषित की जाना न्यायोचित व आवश्यक है। जिससे यह घोषित की जावे कि वाके मौजा अरनियाला की सरहद में स्थित खेत खसरा नबर 5 रकबा 1.2300 हैक्टर में सें वादी का 1/2 हिस्सा, मौजा अरनियाला के खसरा नंबर 14रकबा 2.0700 हैक्टर, खसरा नबर 20 रकबा 1.2100 हैक्टर, खसरा नंबर 21 रकबा 1.4200 हैक्टर, खसरा नंबर 36 रकबा

उपखण्ड अधिकारी रियांबड़ी
जिला–नागौर

0.5900, हेक्टर, खसरा नंबर 85 रकबा 2.0100 हैक्टर कुल खसरे 5 व कुल रकबा 7.3000 हैक्टर सम्पूर्ण वादी की अकेले के खातेदारी अधिकार की काश्त व कब्जासुद है। जिसमें प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 का किसी प्रकार का कोई हक,बंट,हिस्सा व अधिकार नहीं है। जिससे प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 का नाम खातेदारी से हटाया जाकर वादी अकेले के नाम खातेदारी घोषित की जावें।

6–उपरोक्त खसरान की भूमि जो वादी अपनी सहूलियत से काश्त करता चला आ रहा है। लेकिन विधिवत् रूप से खातेदारी वादी अपने नाम से दर्ज करवाना चाहता है। इसी अनुसार अपने नाम खातेदारी घोषित करवाना चाहता है। जिससे वादी के नाम खातेदारी घोषित की जावे तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 5 का नाम खातेदारी से हटाया जावें।

7–यह है कि वादीगण की प्रार्थना है कि वादी का वाद बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण निम्न तरीके से सादिर फरमायी जावें।

1–यह है कि घोषणा खातेदारी की डिकी इस प्रकार सादिर फरमायी जावे कि मौजा अरनियाला की सरहद में स्थित खेत खसरा नबर 5 रकबा 1.2300 हैक्टर में सें वादी का 1/2 हिस्सा, मौजा अरनियाला के खसरा नंबर 14रकबा 2.0700 हैक्टर, खसरा नबर 20 रकबा 1.2100 हैक्टर, खसरा नंबर 21 रकबा 1.4200 हैक्टर, खसरा नंबर 36 रकबा 0.5900 हेक्टर, खसरा नंबर 85 रकबा 2.0100 हैक्टर कुल खसरे 5 व कुल रकबा 7.3000 हैक्टर सम्पूर्ण वादी की अकेले के खातेदारी अधिकार की काश्त व कब्जासुद है। जिसमें प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 का किसी प्रकार का हक ,बंट, अधिकार नहीं है। इसलिए प्रतिवादीगण का नाम राजस्व रेकार्ड से हटाया जावें।

2–यह है कि अन्य जो प्रार्थना वादी के हक में हो स्वीकार फरमायी जावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन जबाब बाबत तलब किया गया। वादी मय वकील व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 मय वकील के हाजिर न्यायालय होकर अपना राजीनामा पेश किया गया। राजीनामा बाद पहचान के तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया गया।

वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई। वकील पक्षकारान ने अपनी बहस में बताया गया कि वादग्रस्त आराजी स्व.मांगीलाल की खातेदारी की है मांगीलाल का स्वर्गवास हो चूका है। जिससे वादी व प्रतिवादीगण को वादग्रस्त आराजी उतराधिकार में प्राप्त हुई है। वादग्रस्त आराजी पुश्तेनी है। प्रतिवादी संख्या 1 से 5 ने अपना हक हिस्सा व बंट अधिकार वादी के पक्ष में तर्क कर दिया गया है। इनका नाम खातेदारी से हटाया जावें। इसलिए राजीनामा पेश कर दिया गया है। सभी प्रतिवादीगण सहमत है। इसलिए वादग्रस्त आराजी वादी अकेले के नाम खातेदारी की घोषित की जावें। तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 का नाम खातेदारी से हटाया जावें।

वकील पक्षकारान की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकार्ड यथा जमाबंदी मौजा अरनियाला संवत् 2073–76 का अवलोकन किया गया। जिससे पाया गया कि वादग्रस्त आराजी वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 के नाम खातेदारी में दर्ज है। जो उतराधिकार में प्राप्त हुई है। एवं यह भूमि स्व.मांगीलाल के नाम दर्ज थी उनके स्वर्गवास हो जाने के उपरांत यह भूमि उनके उतराधिकारी वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 5 को प्राप्त हुई। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 ने अपना हिस्सा, हक व अधिकार वादी के पक्ष में जुबानी तर्क कर दिया गया है। वादी के अकेले के नाम प्रतिवादीगण खातेदारी की घोषणा करवाना चाहते है। भूमि पैतृक है। प्रतिवादीगण वादी के नाम से खातेदारी घोषणा के पक्ष में अपना राजीनामा भी पेश कर दिया गया है सभी सहमत है।

अतः वादी का यह वाद जरिये राजीनामा के स्वीकार किया जाता है तथा वादी के नाम निम्न प्रकार से खातेदारी की घोषणा की जाती है।

मौजा अरनियाला की सरहद में स्थित खेत खसरा नबर 5 रकबा 1.2300 हैक्टर में सें वादी का 1/2 हिस्सा तथा मौजा अरनियाला के खसरा नंबर 14 रकबा 2.0700 हैक्टर, खसरा नबर 20 रकबा 1.2100 हैक्टर, खसरा नंबर 21 रकबा 1.4200 हैक्टर, खसरा नंबर 36 रकबा 0.5900 हेक्टर, खसरा नंबर 85 रकबा 2.0100 हैक्टर कुल खसरे 5 व कुल रकबा 7.3000 हैक्टर की भूमि वादी के नाम खातेदारी की घोषित की जाती है।" तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 का नाम खातेदारी से हटाया जाता है। "

तहसीलदार रियांबड़ी उपरोक्तानुसार वादी के नाम खातेदारी का इन्द्राज किया जाकर राजस्व रेकार्ड को दुरूस्त किया जावें तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 का नाम खातेदारी से हटाया जावें"इसी आशय का डिकी पर्चा जारी हो। तहसीलदार रियांबड़ी को तहरीर जारी हों।

निर्णय आज दिनांक 5/7/24 .....को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेशकुमार)
उपखण्ड अधिकारी रियांबड़ी
जिला-बाड़मेर